

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 33 /2025

दिनांक 03.02.2025

श्रीमती इन्दु चौधरी (RJ00916), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, बीकानेर को दिनांक 15.02.2025 से 07.03.2025 तक 21 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 08.03.2025 से 09.03.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), बीकानेर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, बीकानेर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से

03/2/25


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/87/2015/ 1052

दिनांक 03.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर को उनके पत्रांक 245 दिनांक 13.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती इन्दु चौधरी (RJ00916), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, बीकानेर।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, बीकानेर।
5. विशिष्ट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पी.सी.पी.एन.डी.टी.एक्ट प्रकरण), बीकानेर।


03/02/25
सहायक रजिस्ट्रार